

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उडसरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 120/2025

अनवान :

1. खुशी मोहम्मद पुत्र फते खां जाति तेली निवासी वार्ड नं० 07 शेरड़ा तहसील भादरा ।
:-वादी

बनाम

1. नियाजु खान पुत्र फते खां जाति तेली निवासी शेरड़ा तहसील भादरा ।
2. मुमताज खां पुत्र फते खां जाति तेली निवासी शेरड़ा तहसील भादरा ।
3. लीलु खान पुत्र फते खां जाति तेली निवासी शेरड़ा तहसील भादरा ।
4. नतिया पत्नी फतेखां खां जाति तेली निवासी शेरड़ा तहसील भादरा ।
5. कृष्णा पुत्री फतेखां पत्नी आमीन खां जाति तेली निवासी शेरड़ा तहसील हाल आबाद नेठराना ढाणी नहर के पास तहसील भादरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।
7. एचडीएफसी बैंक लि० शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुरतगढ़ जरिए शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सुरतगढ़ जिला हनुमानगढ़ ।
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डाबड़ी जरिए शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा डाबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

:-प्रतिवादीगण



आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री महेश बंसल व वकील प्रतिवादी श्री सोमवीर यादव की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादभूमि रोही मौजा शेरड़ा के वर्तमान खाता संख्या 245/74 के ख०न० 138, 49/1, 511/2 कुल खसरा 3 की कुल 7.014 है० बारानी एवं रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 244/74 के खसरा संख्या 37, 588/1 कुल खसरा 2 की 4.0390 है० बारानी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भूअ. /26/244 दिनांक 13.03.2026 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा शेरड़ा का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा शेरड़ा

1 **खुशी मोहम्मद पुत्र फते खां हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा० देह खातेदार :-** रोही मौजा शेरड़ा के खसरा संख्या 37 की 1.3885 है० बारानी, खसरा संख्या 588/1 की 0.714 है० बारानी, खसरा संख्या 511/2 की 0.805 है० बारानी कुल रकबा 2.9075 है० राहिन एचडीएफसी भादरा ।

2 **लीलु खां पुत्र फते खां जाति तेली हिस्सा पूर्ण सा० देह खातेदार :-** खसरा संख्या 37 की 1.3055 है० बारानी, खसरा संख्या 588/1 की 0.631 है० बारानी, खसरा संख्या 511/2 की 0.805 है० बारानी कुल रकबा 2.7415 है० बारानी राहिन एसबीआई डाबड़ी ।

3. नियाजु खां पुत्र फते खां हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा0 देह खातेदार :- रोही मौजा शेरड़ा खसरा संख्या 49/1 की 0.9485 है0 बारानी, खसरा संख्या 138 की 0.9485 है0 बारानी, खसरा संख्या 511/2 की 0.805 है0 बारानी कुल रकबा 2.702 है0 बारानी राहिन एसबीआई सुरतगढ़ ।

4. मुमताज पुत्र फते खां हिस्सा पूर्ण जाति तेली सा0 देह खातेदार :- रोही मौजा शेरड़ा के खसरा संख्या 49/1 की 0.9485 है0 बारानी, खसरा संख्या 138 की 0.9485 है0 बारानी, खसरा संख्या 511/2 की 0.805 है0 बारानी कुल रकबा 2.702 है0 बारानी ।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(Signature)
(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़